न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 20/2018 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2018/00104

उनवान

1. जगदीश प्रसाद } पुत्र अंतराम जाति ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम सिकरौदा तह0 राजाखेडा
2. विष्णु उर्फ पप्पू } जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. वृन्दावन } पुत्र करूआ
2. बनवारी }
3. रामाबेटी पत्नी महेन्द्र
4. हरप्रसाद पुत्र महेन्द्र
5. रामलखन } नाबालिग पिसरान
6. राजकुमारी } महेन्द्र वसरपरस्ती माता रामबेटी।

} जाति निषाद निवासीगण ग्राम छीतापुरा तह0 राजाखेडा जिला धौलपुर।

.....असल रेस्पोंडेंट।

7. छोटेलाल
8. छविराम } जाति ब्राहम्ण पुत्र अन्तराम निवासी ग्राम सिकरौदा तहसील राजाखेडा जिला
9. हरप्रसाद } धौलपुर।
10. पुष्पादेवी वेवा राधेश्याम
11. प्रदीप पुत्र राधेश्याम
12. मुन्नी देवी पत्नी गंगाप्रकाश
13. लीलावती पत्नी महावीर प्रसाद
14. बसंती पत्नी संतोषीलाल

} जाति ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम सिकरौंदा तह0 राजाखेडा जिला धौलपुर।

15. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा।

.....तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा दि0 03.05.2018 मि.नं. 35/16 उनवानी वृन्दावन बनाम जगदीश।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री निशान्त भार्गव उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव उपस्थित।

निर्णय दिनांक–26.02.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 03.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी असल रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण अपीलाण्ट एवं तरतीवी रैस्पो0 इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी पर वादी असल रैस्पो0 व प्रतिवादी अपीलाण्ट व तरतीवरी रैस्पो0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार काबिज काश्तकार हैं। परन्तु विवादित आराजी का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। विवादित आराजी पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने के कारण पक्षकारान में आये दिन फसल को लेकर झगडा फसाद हो जाता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी के विभाजन का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से अन्तिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी /अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी है। यह है कि प्रकरण पेशी दिनांक 21.3.2018 तक विभाजन प्रस्तावो की तलवी में विचाराधीन होकर प्रकरण में अग्रिम पेशी दिनांक 25.04.2018 नियत की गयी। दिनांक 25.04.2018 की कोई आदेशिका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंकित नहीं की गयी एवं सीधे दिनांक 03.05.2018 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपीलाधीन आदेश यह अंकित करते हुये पारित कर दिया कि कैम्प में मौके पर कुर्रेजात प्रस्ताव बनाये गये। जबकि पटवारी हल्का एवं गिरदावर द्वारा विभाजन प्रस्तावो में दिनांक क्रमशः 01.05.2018 व 02.05.2018 में हस्ताक्षर किये हैं जबकि अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.05.2018 का है। इस प्रकार विभाजन प्रस्ताव एवं

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपीलाधीन आदेश में विरोधाभास हैं। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय पक्षकारो को कोई सूचना नहीं दी गयी एवं ना ही पक्षकार मौके पर उपस्थित हुये। विभाजन प्रस्तावो में ना तो पक्षकारो की उपस्थिति का ही उल्लेख है एवं ना ही उन्होनें हस्ताक्षर करने से मना कर दिया का ही उल्लेख है एवं ना ही विभाजन प्रस्तावो पर तहसीलदार के हस्ताक्षर अथवा प्रतिहस्ताक्षर हैं। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा जारी नियम 18 से 21 की पालना नहीं हुयी है। खसरा नम्बर 705/1587 पर उभयपक्ष की बोरिंग है। जिसे रैस्पो0 को दे दिया गया जबकि उक्त खसरा नम्बरान में अपीलाण्ट आधे हिस्से के खातेदार हैं। खसरा नम्बर 696 पर अपीलाण्ट का कब्जा है वह भी रैस्पो0 को ही दे दिया गया। प्रकरण में ना तो पक्षकारो के मध्य कोई सहमति बनी एवं ना ही कोई राजीनामा ही हुआ तो अधीनस्थ न्यायालय राजस्व लोक अदालत में किस प्रकार प्रकरण का निस्तारण कर सकते हैं। प्रार्थना पत्र 41 नियम 27 के साथ प्रस्तुत वयनामा में स्पष्ट अंकित हैं कि विवादित आराजी में अपीलाण्ट व रैस्पो0 का बराबर हिस्सा है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे (29) 2022 पेज 446, 2021(28) पेज 44 आरआरटी 2017(1) पेज 689, 2011–12 पेज 698 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। विभाजन प्रस्ताव स्वयं मौके पर जाकर तहसीलदार एवं पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं एवं नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय में मूल वाद में कहीं भी किसी का कब्जा नहीं बताया केवल सम्मिलित आराजी बताई है। राजस्व लोक अदालत में बँटवारे की सहमति दी है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01.05.2018 को बनाये गये हैं एवं दिनांक 03.05.2018 को राजस्व लोक अदालत में पक्षकारो को सुना जाकर अपीलाधीन आदेश पारित हुआ है। अपीलाण्ट ने विभाजन प्रस्तावो पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी है। अपील में भी कुँआ की कोई जिक्र नहीं किया। इस प्रकार अंतिम डिक्री पर आपत्ति सारहीन है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार विभाजन हुआ है। प्राथमिक डिक्री की कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है। पक्षकारो का उपस्थित होना जरूरी नहीं है जितना हिस्सा राजस्व रिकार्ड में था उतना दे दिया। बोरिंग हमने लगाया है। बिल प्रस्तुत किये हैं। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2013(1) पेज 59, 2014(1) पेज 357, 2017(1) पेज 105, 2014–15 पेज 142, 2021(1) पेज 734, 2014(2) पेज 1133 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्तावो के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्तावो पर अपीलाण्ट के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं केवल रैस्पो0 के ही हस्ताक्षर अंकित हैं एवं ना ही विभाजन प्रस्तावो में यह अंकित है कि अपीलाण्ट मौके पर उपस्थित हुये अथवा नहीं अथवा उपस्थित थे एवं उनके द्वारा विभाजन प्रस्तावो पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई नोटिस भी संलग्न नहीं है जिससे स्पष्ट हो सके कि अपीलाण्ट को मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु उपस्थित होने की सूचना दी गयी हो। विभाजन प्रस्तावो पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 01.05.2018 को हस्ताक्षर करना अंकित हैं वही गिरदावर द्वारा दिनांक 02.05.2018 को हस्ताक्षर किये हैं। दूसरी तरफ अधीनस्थ न्यायालय अपने अपीलाधीन आदेश में दिनांक 03.05.2018 को मौके पर ही विभाजन प्रस्ताव तैयार करना अंकित करते हैं। अतः विभाजन प्रस्ताव एवं अपीलाधीन आदेश में अंकित दिनांक एवं तथ्यों में विरोधाभास हैं। इसके अलावा विभाजन प्रस्तावो पर तहसीलदार के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है। नियम व न्यायिक दृष्टान्तो के आलोक में उक्त विभाजन प्रस्तावो को उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः हस्तगत प्रकरण में विभाजन के नियम 18–21 की पालना दृष्टिगोचर नहीं होती है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश राजस्व लोक अदालत में पारित किया है एवं प्रकरण में पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा /समझौता हुआ हो। ऐसा भी दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। नियमानुसार राजस्व लोक अदालत में पक्षकारो की सहमति/राजीनामा से ही प्रकरण निस्तारित किये जा सकते हैं। परन्तु हस्तगत प्रकरण में ना तो पक्षकारो के मध्य कोई राजीनामा हुआ है एवं अपीलाण्ट ना तो विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय उपस्थित रहें हैं एवं ना ही उनको राजस्व लोक अदालत में प्रकरण रखने की सूचना ही प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर राजस्व लोक अदालत में प्रकरण रखने हेतु सम्मन रैस्पो0 को ही प्राप्त हुआ है। उक्त सम्मन पर अपीलाण्ट के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। अतः बिना पक्षकारो की उपस्थिति में अथवा बिना राजीनामा राजस्व लोक अदालत में पारित निर्णय को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 03.05.2018 अपास्त किये जाकर प्रकरण उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, एवं तहसीलदार स्वयं की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कराते हुये, एवं अधीनस्थ न्यायालय प्राप्त विभाजन प्रस्तावो पर उभयपक्ष को

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

सुनवाई/आपत्ति का अवसर देते हुये, पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में वास्ते सुनवाई दिनांक 28.03.2024 को उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)